छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | चतुर्थ सत्र | अंक-05

<u>रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 2015</u>

(फाल्गुन 19, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 14 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 11 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अरूण वोरा के स्थान पर श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 28 तारांकित एवं 50 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

3. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने मनरेगा में काम न मिलने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि स्थगन नियम के अंतर्गत नहीं है इसलिए उन्होंने स्थगन प्रस्ताव को कक्ष में अग्राहय कर दिया है।

(व्यवधान होने के कारण सभा की कार्यवाही 12.03 बजे स्थगित की जाकर 12.10 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने पुन: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने आग्रह किया कि माननीय सदस्य इस विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना दे दें उस पर चर्चा कराई जा सकती है।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने जिला जशपुर में हाथियों के आतंक से विशेष संरक्षित जनजाति परिवारों के बेघर होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री केशव चंद्रा, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा के विकासखंड जैजैपुर में वितरक नहर कार्य पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) डॉ. खिलावन साहू
(2) श्री भोलाराम साहू
(3) डॉ. विमल चोपड़ा
(4) श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम
(5) श्री तोखन साहू

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री लखन देवांगन, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015)

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

2. औद्योगिक विवाद (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 6 सन् 2015)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विवाद (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 6 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

3. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2015)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से शासन की ओर से प्राप्त -
(1) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015)
(2) औद्योगिक विवाद (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 6 सन् 2015)
(3) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2015)
पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 30-30 मिनट का समय निर्धारित किया ।

8. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में श्री तोखन साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्नलिखित सदस्यों के संशोधन प्राप्त हुए :-

श्री सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमित अजीत जोगी, सियाराम कौशिक, बघेल लखेश्वर, श्रीमती देवती कर्मा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री दीपक बैज, भोलाराम साहू, शंकर ध्रुवा, मोहन मरकाम, लालजीत सिंह राठिया, संतराम नेताम।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री सत्यनारायण शर्मा (जारी)

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री सत्यनारायण शर्मा, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अमरजीत भगत, श्रीचंद सुंदरानी, रामदयाल उईके, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, कवासी लखमा,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ. खिलावन साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री मोहन मरकाम, डॉ. सनम जांगड़े, सर्वश्री बृहस्पत सिंह, नवीन मारकण्डेय, मोतीलाल देवांगन,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि कल के प्रथम वक्ता श्री लखन देवांगन होंगे।

सायं 5.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2015 (फाल्गुन-20, शक संवत् 1936) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा